

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 1472 /स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 141 वीं बैठक दिनांक 15 जुलाई 2016 के एजेण्डा बिन्दु कमांक 2.8 पर लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर 2016 से लागू किये जाने वाले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम-13(1) में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के ऐसे उत्पादक जिनकी बिक्री केवल म.प्र. में ही की जाती है, को नियम 13(2) में विनिर्माता को, नियम 13(3) में भंजक या पुर्नःचक्रणकर्ता को, नियम 13(4) में नवीनीकरणकर्ता को प्राधिकार जारी करने की तथा नियम 14 में प्राधिकार निलंबित करने की शक्तियाँ अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाती हैं।


(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ० कमांक 1473 /स्था/मुप्रनिबो/2016
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

- 1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 प्रभारी अधिकारी, ई-अपशिष्ट प्रबंधन शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।